भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1958

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

असम में स्माइल योजना

1958. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता योजना (स्माइल) के अंतर्गत असम को आवंटित और इसके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इस योजना के आरंभ से अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ हुआ है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्षवार तथा वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) असम में ट्रांसजेंडर जनसंख्या और गरिमा गृहों की संख्या कितनी है और कितने व्यक्तियों ने इनका लाभ उठाया है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों का चयन करते समय अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इसका विस्तार नागांव तक करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वर्तमान में यह योजना उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केवल दो राज्यों - असम और अरूणाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) योजना में दो उप-योजनाएं हैं, अर्थात् 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' और 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास'।

उप-योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' के अंतर्गत वित वर्ष 2024-25 में गरिमा गृह की स्थापना के लिए असम राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को 5.02 लाख रुपये जारी किए गए हैं और गरिमा गृह के माध्यम से 25 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित लाभार्थियों ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर (टीजी) कार्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं:

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2021-22	5
2	2022-23	67
3	2023-24	126
4	2024-25 (07.03.2025 तक)	60

स्माइल उप-योजना 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' के अंतर्गत असम के 4 शहरों (होजाई/डोबोका, गोलाघाट, गुवाहाटी और तेजपुर) में इस उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए असम राज्य को 61.60 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका उपयोग किया गया है। उप-योजना के प्रारंभ (अर्थात 23.10.2023 से) से असम में 138 व्यक्ति लाभान्वित/पुनर्वासित हुए हैं।

इस उप-योजना के लाभार्थियों के वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2023-24	-
2	2024-25 (07.03.2025 तक)	138

(ग): 2011 की जनगणना के अनुसार, असम राज्य में 'अन्य' की कुल जनसंख्या 11,374 है। असम के कामरूप (एम) जिले में एक गरिमा गृह स्थापित किया गया है और 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया है।

(घ): स्माइल उप-योजना 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' के अंतर्गत वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत चयनित शहर धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(ङ): वर्तमान में, उप-योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है और 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' को 5 उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****